भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याT 538

जिसका उत्तिर 20 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

कोयला लिंकेज

538. श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्रीमती गीताबेन वजेसिंह भाई राठवाः
श्री नारणभाई काछड़ियाः
श्री शान्तनु ठाकुरः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली, इस्पात और कोयला क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को कोयला लिंकेज के आवंटन के लिए निर्धारित मानदंड का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आवंटित पट्टा क्षेत्र से परे अनधिकृत खनन/अनधिकृत बिक्री गतिविधि का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तaर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): कोयला लिंकेज के आवंटन के लिए निर्धारित की गई प्रक्रिया निम्नानुसार हैः-

(1) गैर-विनियमित क्षेत्र के लिए कोयला लिंकेज को नीलामी संबंधी नीति को फरवरी, 2016 में शुरु किया गया था। इस नीति में, यह निर्धारित किया गया था कि गैर-विनियमित क्षेत्र अर्थात् सीमेंट, स्टील/स्पंज आयरन, कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) सहित एल्युमिनियम और अन्य {उर्वरक (यूरिया क्षेत्र) को छोड़कर} के लिए सभी लिंकेज/आश्वासन-पत्र का आवंटन नीलामी आधार पर होगा। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) और उर्वरक (यूरिया) के ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) को छोड़कर मौजूदा ईंधन आपूर्ति करारों का कोई नवीकरण नहीं हुआ है।

(2) भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला प्राप्त करने और इसके आवंटन संबंधी स्कीम (शक्ति), 2017 को मई, 2017 में शुरु किया गया था और इसके बाद दिनांक 25.03.2019 को इसमें संशोधन किया गया था, जिसके तहत थर्मल पावर प्लांट को कोयला लिंकेज का आवंटन केंद्रीय/राज्य क्षेत्र के पावर प्लांटों को नामांकन आधार पर और निजी क्षेत्र में पावर प्लांटों को बोली/नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। 'शक्ति' के तहत, उन विद्युत उत्पादकों, जो पहले ही दीर्घकालीन बिजली खरीद करार (पीपीए) जिसमें बोलीदाता प्रशुल्क पर छूट लेने के लिए बोली लगाता है को सम्पन्न कर चुके हैं, के लिए अधिसूचित मूल्य पर कोयला लिंकेज प्रदान किए जाते हैं। पीपीए की प्रतिस्पर्धी प्रशुल्क आधारित बोली के लिए राज्यों को भी कोयला लिंकेज उपलब्ध कराए गए हैं।

(3) ब्रिज लिंकेज का आवंटन उन केंद्रीय/राज्य पीएसयू के विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग संयंत्रों के लिए किया जाता है जिनको कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के तहत अनुसूची- III।। कोयला खानें तथा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। ब्रिज लिंकेज के लिए सिफारिशें स्थायी लिंकेज समिति (दीर्घ कालिक) द्वारा की गई हैं।

(ख) और (ग) अनधिकृत कोयला खनन कार्यकलापों की निगरानी के लिए दिनांक 04 जुलाई, 2018 को कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) तथा 'खनन प्रहरी' ऐप का शुभारंभ किया गया है। अवैध कोयला खनन कार्यकलापों का दो तरीके से पता लगाया जा सकता हैः-

i. सीएमपीडीआई में सैटेलाइट डाटा की स्कैनिंग के माध्यम से- इसके तहत सैटेलाइट डाटा को किसी भी कोयला खनन कार्यकलाप का पता लगाने हेतु स्कैन किया जाएगा जो प्राधिकृत लीज होल्ड क्षेत्र से बाहर है।
ii. इस ऐप पर नागरिकों द्वारा की गई रिपोर्ट के माध्यम से – इसके तहत कोई भी नागरिक टेक्स्ट और/या जीओ-टैग्ड फोटोग्राफ के रूप में किसी भी अवैध कोयला खनन कार्यकलाप के बारे में रिपोर्ट कर सकता है।

उपर्युक्त स्रोतों के माध्यम से सृजित रिपोर्टें स्वतः सीआईएल/एससीसीएल तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नामित नोडल अधिकारियों को अग्रेषित हो जाएंगी। नोडल अधिकारी रिपोर्ट किए गए कार्यकलाप की जांच कर ते हैं तथा कानून के अनुसार कार्रवाई कर ने हेतु पुलिस को रिपोर्ट कर ते हैं अथवा कानून का अनुपालन कराने वाली एजेंसियों को सूचित कर ते हैं। की गई कार्रवाई प्रणाली में भी फीड की जाएगी ताकि कोई भी व्यक्ति सीएमएसएमएस में शिकायत निगरानी प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायत की स्थिति को देख सके। शिकायतकर्ता की पहचान को प्रकट नहीं किया जाता है। संचित मासिक स्थिति की रिपोर्ट का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली की संचित मासिक स्थिति की रिपोर्ट
(सीएमएसएमएस-खनन प्रहरी) अक्तूबर, 2019

I. खनन प्रहरी मोबाइल ऐप के माध्यम से सृजित शिकायतें		
1. सृजित की गई कुल शिकायतें	**205**	**टिप्पिणयां**
2. सीआईएल क्षेत्र		
• सृजित शिकायतों की संख्या	120	बीसीसीएल-18,सीसीएल-7,ईसीएल-80,एनसीएल-6,एसईसीएल-8,एमसीएल-1
सीआईएल लीजहोल्ड क्षेत्र से		
• सीआईएल नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापित शिकायत	82	बीसीसीएल-16,सीसीएल-7,ईसीएल-50,,एनसीएल-3, एसईसीएल-5, एमसीएल-1
• सही पाई गई शिकायत	22	बीसीसीएल-2,सीसीएल-5, ईसीएल-15
• गलत पाई गई/दोहराई गई शिकायत	61	बीसीसीएल-15,सीसीएल-2, ईसीएल-35, एनसीएल-3, एसईसीएल-5,एमसीएल-1.
सत्यापन के पश्चात्		
• सत्यापित की जाने वाली शिकायत	37	बीसीसीएल-1, ईसीएल-30, एनसीएल-3, एसईसीएल-3
3.गैर-सीआईएल क्षेत्र		
• इस क्षेत्र से सृजित शिकायतों की संख्या	85	असम-4, छत्तीसगढ़-7, मध्य प्रदेश-25, ओडिशा-5, पश्चिम बंगाल-25, झारखण्ड-11, महाराष्ट्र-8
सीआईएल से बाहर के लीजहोल्ड क्षेत्र		
• सत्यापित शिकायतें	14	असम-1, छत्तीसगढ़-6,मध्य प्रदेश-4, ओडिशा-2, पश्चिम बंगाल-1,
• गलत पाई गई शिकायत	13	छत्तीसगढ़-6, मध्य प्रदेश-4, ओडिशा-2, पश्चिम बंगाल-1.
• दोहराई गई शिकायत	19**	छत्तीसगढ़-5, पश्चिम बंगाल-2, असम-2, मध्य प्रदेश-7, महाराष्ट्र-3
सत्यापन के पश्चात्		
सही पाई गई शिकायत	1	असम-1
• सत्यापित की जाने वाली शिकायत	71	असम-3, मध्य प्रदेश-21, ओडिशा-3, पश्चिम बंगाल-24, झारखण्ड-11, महाराष्ट्र-8, छत्तीसगढ़-1
** शिकायत आईडी 272 एवं 273 और 373,374,375 पश्चिम बंगाल में दोहराई हुई शिकायतें हैं तथा शिकायत आईडी 274-279 छत्तीसगढ़ में दोहराई हुई शिकायत है। शिकायत आईडी 354 एवं 355 मध्य प्रदेश में दोहराई हुई शिकायत है। शिकायत आईडी 283-284 एवं 285 असम क्षेत्र में दोहराई हुई शिकायत है। शिकायत (352,353) और (357,358,359) ईसीएल में दोहराई हुई शिकायत है। 6 शिकायतें मध्य प्रदेश, 3 महाराष्ट्र में दोहराई हुई शिकायतें हैं।		
II. वर्ष 2019-20 को पहली तिमाही (जुलाई-सितंबर) की अवधि के लिए सैटेलाइट डाटा की स्कैनिंग करने संबंधी रिपोर्ट की निगरानी		
किसी भी प्रकार के अवैध खनन का पता नहीं चला है।		